ISSN No. : 2394-0344 Remarking : Vol-1 * Issue-11*April-2015

बच्चों के अधिकार एवं राष्ट्रीय बालनीति

के. एच. वासनिक
सहयोगी प्राध्यापक,
प्रदयुत्तर राजनीतिक शास्त्र विभाग,
शासकीय विदभ ज्ञान विज्ञान
संस्था, अमरावती (महाराष्ट्र)

सारांश

प्रायः हर भाषा में और हर देश में ऐसा कहा और सुना जाता है कि, 'बच्चे राष्ट्र के भावी कर्णधार होते है, बच्चे राष्ट्र के विषय है, आज का बच्चा कल का नागरिक होगा, बच्चा आदमी का बाप होता है। (चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन) लेकिन इन जूमलों की निरर्थकता, पर मर्माहत होकर कभो–कभो सोचता हूँ कि हमारे समाज के वर्तमान कर्णधार करनी और कथनी में दोहरा मापदण्ड अपना कर दोगली भाषा क्यों बोलते है ओर अपना राजनीतिक स्वार्थ हासिल कर लेते है। २० नवम्बर १९८९ के बाल अधिकार सम्मेलन में इस बात पर जोर डाला गया था की, यह मानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतो के अनुसार समूचे मानव समुदाय की अन्तर्निहित गरिमा और सभो के समान और अहरणीय (Inalienable) अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वाधिनता न्याय और शान्ति का आधार है। हाल ही में विश्व के ४४ राष्ट्रों के जो बच्चों के सर्वे आये है, वह हर इन्सान को चकाचौंध करने लायक है। सर्वे बताते है की, संसार के सभो राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों का हनन सरेआम चल रहा है।४४ देशों के सर्वे के मुताबिक भारत में ९५ बच्चे घर के अलावा स्कूलों मे अपने आप को ज्यादा सुरक्षित समझते है, जब कि अन्य देशों के बच्चे अपने आप को घर में सुरक्षित महसूस करते है। आरूषी तलवार का उदाहरण सोचने पर मजबूर करता है। टेनिस खेल में से १२ साल के बच्चे मजदूर के रूप में दिखाई देते है।

मुख्य शब्द : बच्चों के अधिकार, मर्माहत, घोषणापत्र, विषय, अपराध, अधिनियम, मुलभूत संरचना, राष्ट्र, विश्वव्यापी घोषणा, अप्रेन्टिस ॲक्ट, मानव संसाधन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, नीजिकरण, प्रसविंदा

प्रस्तावना

प्रायः हर भाषा में और हर देश मे ऐसा कहा और सुना जाता है कि 'बच्चे राष्ट्र के भावी कर्णधार होते है,' बच्चे राष्ट्र का विषय है, आज का बच्चा कल का नागरिक होगा, बच्चा आदमी का बाप होता ह (चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन) लेकीन मैं इन जूमलों की निरर्थकता, पर मर्माहत होकर कभो–कभो सोचता हूँ कि हमारे समाज के वर्तमान कर्णधार करनी और कथनी में दोहरा मापदण्ड अपना कर दोगली भाषा क्यों बोलते ह और अपना राजनीतिक स्वार्थ हासिल कर लेते है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा २० नवम्बर १९८९ को बाल अधिकार सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। यह मानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतो के अनुसार समूचे मानव समुदाय की अन्तर्निहित गरिमा और सभी के समान ओर अहरणीय (Inalienable) अधिकारों की मान्यता ही, विश्व में स्वाधीनता न्याय और शान्ति का आधार है।[1]

मेरा मानना है कि, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को मानने वाले राष्ट्रों मे मुलभूत मानव अधिकारो और मानवीय गरिमा तथा सन्मान के प्रति आस्था व्यक्त की है तथा व्यापक स्वाधीनता के वातावरण में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। किन्तु उस घोषणापत्र का क्या हुआ क्यों हुआ कौन जिम्मेदार है, इसके लिए राष्ट्रीय अतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी बहस होनी चाहिए थी पर नही हो पायी।

"In the era of Globlization, Modernization and Technological development we often chose to ignore certain vital facts of Nature. One such fact pertains to the safety, security and development of children in the society. Had it not been the case, there would not be such a tremendous rise in crimes against children in every society.[2]

वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजोकरण एवं आधुनिकीकरण और तंत्रविज्ञान विकास युग में भो बालकों के अधिकार का हनन आम बात हो गई है, संसार के सभी समाजों में दिन ब दिन बच्चों के अधिकारो का हनन एवं शोषण बढ रहा है।

यह मानते हुए की संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा तथा मानव अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में यह घोषणा की है और सहमति व्यक्त की है कि हर व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा अन्य राज्य, राष्ट्रीय अथवा समाजिक उद्‌गम, सम्पत्ति, जन्म या हैसियत जैसे किसी भो भेदभाव के बिना इस घोषणा और प्रसविदाओं में प्रदत्त अधिकार और स्वाधिनताएँ प्राप्त है। इस बात को पुनःस्मरण करते हुए मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता की अनिवार्यता है।[३]

इस बात पर सहमत होते हुए कि परिवार समाज का मुलभत समह है और इसके सभी सदस्यों विशेषत बच्चों के विकास और खुशहाली के लिए उसे आवश्यक संरक्षण और सहायता मिलनी चाहिए ताकि यह समाज में अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा सके। फिर भो सवाल यह पैदा होता है कि, हम बच्चे किसे कहे। विभिन्न राष्ट्रों में बच्च की उम्र के आधार पर निर्धारण किया गया है। हमारे देश में विभिन्न कानूनों के तहत 'बाल' (Child) की परिभाषा भिन्न–भिन्न है।भाारत की जनगणन में १४ वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा माना गया है और भारतीय संविधान के अनुसार भी बच्चे की परिभाषा में १४ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ती शामिल है। भारतोय दण्ड विधान १८६० की धारा ८२ के अनुसार ७ वर्ष से कम उम्र के बच्चां द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहों माना जाएगा। उसो प्रकार ७ वर्ष से अधिक और १२ वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चां द्वारा किया गया कोई भी अपराध नही है जिसन उस मौके पर घटना की वस्तुस्थितिय अपने आचरण के बारे में सही निर्णय लेने योग्य परिपक्वता हासिल नही की हो। इसी प्रकार बाल बाल न्याय अधिनियम (१९८६) के अनसार १६ वर्ष कि आयु से कम के लडके और १८ वर्ष से कम आयु की लडकी को युवा माना गया है और उसका कैदियों से भिन्न तरीके से विचारणा (ट्रायल) करने हतू प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बाल–विवाह निरोध अधिनियम (१९२९) के अनुसार २१ वर्ष से कम आयु का लडका और १८ वर्ष से कम उम्र की लडकी को बच्चा माना गया है। इसके अतिरिक्त अप्रेन्टिस एक्ट (१९५१) कारखाना अधिनियम (१९४८) तथा बाल श्रम (प्रतिशोध एवं विनियम) अधिनियम (१९८६) के अनुसार १४ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है।[४]

संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार बच्चों स तात्पर्य १८ वर्ष से कम आयु के प्रत्येक मनुष्य से है बशर्ते कि बच्चे पर प्रयोग के अन्तर्गत, बच्चा इस उम्र से पहले वयस्कता प्राप्त नही कर लेता।

संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा बच्चों के परिप्रेक्ष्य मे लगभग तीन भाग एवं तीनों भागों को ५४ अनुच्छेद में विस्तार से बताया गया है, जिसमें इस समझौते पर सभी देश हस्ताक्षर कर सकेंगे। साथ ही समझौते की पुष्टी को जानी है। पुष्टि की प्रसविदाएँ संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा कि जाएगी।[५]

इस सभी अनुच्छेदों का भारत ने ११ दिसम्बर १९९२ को अनुमोदन कर दिया। किन्तु इस शर्त के साथ कि इनका अनुपालन उपलब्ध संसाधनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के दायरे में होगा। साथ ही इस तथ्य के साथ भारत ने इसका अनुमोदन सदस्य राष्ट्र के रूप में किया है।

भारत सरकार ने १९७४ में हो एक राष्ट्रीय बाल नीति बनाई थी, जिसका वर्णन निम्नलिखित ढंग से करने का प्रयास किया गया है।

भारत की राष्ट्रीय बालनोति (२२ अगस्त १९७४ को संकल्प)

भारत ने संख्या १–१४/७४ सी. डी.डी. भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार किया था। पर्याप्त उचित विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित नीति अपनाने का निर्णय लिया गया था। बच्चे राष्ट्र के सर्वोच्च महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। उनकी देखभाल और चिन्ता करना हमारी जिम्मेदारी है।[६]

मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चो के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ताकी हमारे बच्चे पुष्ट नागरिक बने और शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सजग और नैतिक रूप से स्वस्थ बने।

बच्चों की आवश्यकताओं और उनके प्रति हमारे दायित्व संविधान में बताए गए है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प बच्चों की शैक्षिक अनिवार्यताओं के बारे में राज्य की नीति को निर्देशित करता है।[७]

राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग से इन दस्तावेजो में बताए गए लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते है। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में यह संकल्प पारित करती है।

नोति और उपाय

बच्चों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हे जन्म से पूर्व और इसके बाद तथा बढत की पूरी उम्र में पर्याप्त सेवाएँ प्रधान करना राज्य की नीति होगी। इस रूप में महाराष्ट्र सरकार की नीतियाँ अनुरूप दिखाई नई देती। इस पर बहस अनिवार्य है।

राज्य में ऐसी सेवाओं का कार्यक्षेत्र निरन्तर बढता जाएगा। ताकि समुचित अवधि में देश में सभी बच्चों को उनके संतुलित विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ मिले। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष रूप में निम्न उपाय किए जाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है।

1. सभी बच्चों को एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में लाया जाए।
2. बच्चां की खुराक में कमियाँ दूर करने के उद्देश्य से पोषण सेवाएँ देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
3. गभवती महिलाओं ओर स्तनपान कराने वाली माताओं के आम स्वास्थ्य में सुधार, उनकी देखभाल पोषण तथा उन्हे पोषण के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाए।
4. राज्य चौदह वर्ष की उम्र तक बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उचित उपाय करेगा और राष्ट्रीय स्त्रोतों की उपलब्धता के अनुरूप इस कायां के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाए। स्कूलों मे इस समय बच्चों की खासतौर से लडकियाँ और कमजोर वर्ग के बच्चों की बर्बादी और उनके विकास मे जो ठहराव आ रहा है, उसे कम करने के विशेष प्रयास किए जाएँ। ऐसे ही वर्गों के बच्चों को स्कूल

जाना शुरु करने से पहले अनौचारिक शिक्षा देने का कार्यक्रम भी चलाया जाए।

5. जो बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा का पूरा लाभ उठाने की स्थिती में नही है, उनकी जरुरतों के अनुरूप शिक्षा के अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
6. स्कूलों सामुदायिक केन्द्रों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं में शारीरिक और स्वास्थ शिक्षा, खेल और अन्य मनोरंजक तथा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढावा दिया जाएगा।
7. अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए कमजोर वर्गों (जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों) के बच्चों और गाँवों और शहरों मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
8. विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों वाले, अपराधी बन चुके भिखारी बनाने वाले मजबूर और अन्य परेशनियों में जी रहे बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास दिलाया जाएगा और उन्ह देश के लिए उपयोगी नागरिक बनाने में मदद की जाएगी।
9. बच्चों को उपेक्षा क्रुरता और शोषण से बचाने के लिए संरक्षित किया जाएगा।
10. चौदह वर्ष से कम उम्र के किसो भी बच्चों को जोखिमवाले कामों में लगाने की इजाजत नही दी जाएगी, नही उसे भारी काम करने दिया जाएगा।
11. वर्तमान कानूनों में इस प्रकार संशोधन किए जाएँगे ताकि सभी कानूनी विवादों में चाहे वे माता–पिताओं के बीच हो अथवा संस्थाओं के बीच, बच्चों के हितो पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा।
12. बच्चों के लिए विभिन्न सेवाओं के आयोजन में पारिवारिक सम्बधों को मजबूत बनाने के दिशा में प्रयास किए जाएंगे ताकि सामान्य परिवार पास–पडोस और समुदाय के वातावरण में बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके।
13. बच्चों के विषय के निर्माण में विभिन्न घटक निरंतर प्रयासरत है।

इनमें स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका, विधायी और प्रशासनिक उपाय महत्वपूर्ण रहे है जहाँ तक स्वयंसेवी संगठनों की बात है इसमें सरकार ऐसे प्रयास करेगी ताकि बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाँए और उपयुक्त योजनाएँ चलाई जाएँ। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ स्वयंसेवी संगठन सराहनयि कार्य कर रही है, किन्तू कुछ संगठन केवल सरकारी अनुदान लेकर कार्य करते नही दिखाई दे रहे है।

हॉल ही में चाईल्ड संगठन ने विश्व के ४४ देशों के बालकों के शिक्षा के बारे में सर्वे किये वे बहोतही या वह है। सर्वे बता रहे है की, भारत में ६३ बालक अपने घर से ज्यादा स्कूलो में सुरक्षित महसूस करते है इसका तात्पर्य यह होता है की भारत में बच्चे अपने खूदके घर में सुरक्षित महसूस नही करते इसके तुलना विश्व के अन्य देशों में स्कूल से ज्यादा अपने घर में सुरक्षित महसूस करते है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल जा सकते है।

1. संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुसार समूचे मानव समुदाय की अन्तर्निहीत गरिमा और सभी के समान और अहरणीय अधिकारो की मान्यता ही विश्व में स्वाधीनता न्याय और शान्ति का आधार है।
2. बच्चों के अधिकार के प्रति विश्व के अनेक देश अपनी भूमिका का निर्वाहण बराबर करते नही दिखते।
3. भारत के तुलना में अन्य देशों में स्कूल में पढने बाल बच्चे अपने घर में सुरक्षित समझते है।
4. भारत म बच्चे् घर से ज्यादा स्कूल एवं कॉलेजों में सुरक्षित महसूस समझते है।
5. स्वयंसेवी संगठनों को व्यापक कार्य करना चाहिए।

सुझाव

बच्चों के प्रति जो उद्देश्य रखे गये है उनके लिए राज्य आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। विस्तृत हो रहे कार्यक्रमों की जरुरते पूरी करने तथा सेवाओं की कार्यकुशलता बढाने के लिए अनुसधान कार्य तथा कार्मिको के प्रशिक्षण की सुविधा का विकास किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही बच्चों के प्रती माँ–पिता की सोच सकारात्मक होनी चाहिए।

जनता की भागीदारी

भारत सरकार को विश्वास है कि इस वक्तव्य में बताई गई नीति को समाज के सभी वर्गों तथा बच्चों के लिए काम कर रहे सभी संगठनों का समर्थन और सहयोग मिलेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अपनी भागीदारी निभाने के लिए भारत सरकार अपने नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों का आव्हान भी करती है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों को जो मूल अधिकार दिये गए है। ये सभी राष्ट्रीय बाल नीति (१९७४) में समिल्लित नही है। दूसरे राष्ट्रीय बाल नीति का व्यवहार में समुचित कार्यान्वयन भी नही हो सका है। तीसरे, यह सन्तोष की बात है की, विश्व के १९१ देशों मे बाल अधिकार समझौता (१९८९) को स्वीकार कर लिया है, कम से कम सैद्धान्तिक रूप में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का २००५ तक खतरनाक कार्यो में लोग तथा बंधुआ मजदूरी व्यवस्था खत्म करने तथा २०१५ तक सभी प्रकार के बाल श्रम की समाप्ति की घोषणा केवल संकल्प मात्र कागजी ही रह गया है। इसके प्रति विश्व के सभी राष्ट्रो के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, स्वास्थ्य मत्री इन की सकारात्मक सोच ही बालकों के अधिकारों को क्रियान्वित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

संदभ

1. कष्ठ आमोद वर्मा आर. एम.–'नेगलेटेड चाइल्ड (१९९३) प्रयास' नयी दिल्ली.
2. कुमार एस–जेंडर इसूज एण्ड क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ (लेख) 'लेबर एण्ड डेव्लपमेंट जु. दि. १९९५.
3. कपाडिया कामीनी आर.– चाईल्ड लेबर एण्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रास्पेक्टस टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइजेस मुंबई १९९५.
4. कोठारी एस–दे अर इज ब्लड इन दिज मैचस्टिक्स चाईल्ड लेबर इन शिवकाशी ई.पी.डब्ल्यू २००६. १८ स जुलाई १९८३.

5. खांडेकर मंदाकिनी–ए रिपोर्ट ऑन द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रेन एण्ड यूथ इन ग्रेथ्र बॉम्बे (१९७०) मुंबई.
6. खातू के.के. – वर्किंग चिल्ड्रेन इन इण्डिया (१९८५) ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप बडौदा.
7. गंग्राडे के. डी.–वीमेन एण्ड चाइल्ड वर्क्स इन ऑन आर्गनाइज्ड सेक्टर १९८३.
8. नीरा बुर्रा–बॉर्न टू वर्क चाइल्ड लेबर इन इण्डिया (१९९७) ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी पस दिल्ली.
9. प्रेमभाई–रिपोर्ट टू द सुप्रिम कोर्ट दि गार्डिंग चाईल्ड बीवर्स ऑफ मिर्जापुर भदोही वाराणसी (१९८४) वाराणसी (मिमियो).
10. बकेंले ए जे बायडेन–कम्बेटिंग चाइल्ड लेबर २००८ अन्तर्राष्टीय श्रम संगठन जेनेवा
11. युनिसेफ–एक बच्चा होने का अधिकार (१९९४
12. युनिसेफ–चिल्ड्रेन एण्ड वीमेन इन इण्डिया १९९०.
13. क्राइम इन इण्डिया–नेशनल काइम रिकाडर्स ब्यूरो (१९९३) एवं (१९९१) गृह मंत्रालय, भारत सरकार नयी दिल्ली.
14. सर्वे महाराष्ट्र वे अमरावती शहर में काम करनेवाले बच्चे से वार्ताला –२५–१२–२०१३ के अनुसार.
15. टि.वही. पर ( ) चॅनेल पर दिखाई जानेवाले गेम्स (टेनिस) बालश्रमीक (उम्र ५ से १०)